संख्या-14/2021/3573/26-3-2020-4(56)/96टी.सी.

प्रेषक,

बी0एल0 मीणा
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 01 फरवरी 2021

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-81 में अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत केन्द्रांश में प्राविधानित धनराशि सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 के लम्बित छात्रों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-191/ज0जा0वि0/के.पु.दश/2020-21, दिनांक-15.12.2020 द्वारा उपलब्ध कराये गयी आख्या/प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-" 2225-02-796-01-0101-दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति-21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन" में प्राविधानित आय-व्ययक धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू0-2218.67 लाख में से वर्ष 2018-19 की लम्बित देयता की पूर्ति हेतु रू0-245.93 लाख, वर्ष 2019-20 की लम्बित देयता की पूर्ति हेतु रू0-1157.2904 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0-1403.2204 लाख (रूपया चौदह करोड़ तीन लाख बाइस हजार चालीस मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं-

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(3)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(4)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-24 मार्च 2020 तथा में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(6)-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(7)-स्वीकृत धनराशि का भुगतान योजना की नियमावली एवं भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा।

(8)-यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(9)-यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1- 149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च 2020 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्षक-''2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-01-दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति (के.100/रा.0) -21-छात्रवृत्तियों और छात्रवेतन'' के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-49/दस-2020-21 दिनांक-27.01.2021 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

बी0एल0 मीणा
प्रमुख सचिव

पृ0संख्या-14/2021/3573 (1)/26-3-2020-तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

भवदीय

अशोक कुमार
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।